

अपीलान्त के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त नामा0 को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला के उक्त दिनांक 4.4.1988 को उक्त क्षेत्र ग्राम रायराकला हेतु भूमि एलोटमेन्ट करने बाबत कोई प्रस्ताव जमा किया नहीं की गई। अनेसिंह के पक्ष में जो आवंटन किया गया है वह नामा0 से आवंटन किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन स्वीकृत किया गया नामा0 प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त भूमि पर अपीलान्त का लगभग 1975 से कब्जा काश्त है जो आज तक भी कायम है। अपीलान्त के द्वारा प्रथम अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का एवं स्थगन बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया। उस दौरान जानबूझकर नामा0 संख्या 2 ने रेस्प0 संख्या 3 ता 6 के पक्ष में फर्जी तौर पर रजिस्ट्री दिनांक 27.11.2017 को करवा दी। तब अपीलान्त ने ग्राम पंचायत व तहसीलदार कार्यालय के समक्ष नामा0 नहीं भरने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपील पत्रावली आदेश में लम्बे समय तक रखी जाकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दिनांक 13.3.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्त की अपील म्याद बिन्दू पर खारिज कर दी जबकि प्रकरण की परिस्थितियों के मध्येनजर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करनी चाहिये थी।

अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सोजत के उक्त दिनांक 4.4.1988 बाबत जिला कलेक्टर पाली कार्यालय एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत से जानकारी चाही तब उनके द्वारा उक्त दिनांक 4.4.1988 को कोई आवंटन कैम्प आयोजन का अंकन चालान रजिस्टर में नहीं होना बताया और न ही अनेसिंह को भूमि आवंटन किये जाने सम्बन्धी कोई फॉर्म या दस्तावेज पत्रावली उपलब्ध नहीं पाई गई। ऐसे में अपील को म्याद बिन्दू पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित की जानी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त रेस्प0 संख्या 2 के द्वारा दिनांक 27.11.2017 को रेस्प0 संख्या 3 ता 6 को किया गया बेचान भी प्रारम्भ से शून्य था जिसके आधार पर उन्हें कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हो सकते है। रेस्प0 संख्या 2 के पक्ष में आवंटन के बाबत तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.7.1995 को पटवारी हल्का खोडिया द्वारा मौका रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन करने, ग्रामवासियों व वार्डपंच व अपीलार्थी के समक्ष मौका देखकर दर्शाया कि ख0सं0 2698/09 पर बुद्धेसिंह की खातेदारी दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि रेस्प0 संख्या 2 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं था। ऐसे में रूपसिंह के पक्ष में प्रारम्भ से ही जमाबन्दी में गलत प्रविष्टी कर गलत रूप से खातेदार बताया गया है। दिनांक 10.03.2018 को रूपसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके स्थान पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में म्याद बाबत गलत निर्णय नजीरों का सहारा लेते हुए तथाकथित आवेदन दिनांक 29.7.16 को प्रस्तुत करना व 5.8.2016 को प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने का अंकन किया है जो उक्त अपील के रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। उनके द्वारा म्याद के



किया गया जो निरस्त करने योग्य है। उक्त भूमि के खरीददारान की नक्शों में हुई फर्जी
लाभों को गोविन्द सिंह अपीलान्ट द्वारा सहायक कलेक्टर सोजत के समक्ष 131, 136
राज्य नू राज्य अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एवं खातेदारी घोषणा हेतु
राज्य काद पेश कर निरस्त करवाने हेतु पेश किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन
होकर पेशी दिनांक 23.01.2023 नियत है। अपीलान्ट को उक्त भूमि पर 1975 से आज
दिन तक कब्जा काशत होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्तियों को किये
जाने से पूर्व उन्हें प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं
किया गया और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी रेस्पों को गलत रूप से लाभ पहुंचाने
की नियत से गुणावगुण पर निर्णय नहीं कर दिनांक 13.3.2018 को अपीलाधीन आदेश
जारी कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की
जाकर आदेश दिनांक 13.3.2018 को निरस्त कर अपीलार्थी को ख०सं० 2698/09 का
खातेदार काशतकार घोषित करने या उसके पक्ष में विधि अनुसार आवंटन के आदेश
प्रदान करावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीरे प्रस्तुत
की यथा आरआरडी 1990 पेज 477, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 2002 पेज
111, आरआरडी 2001 पेज 264, आरआरडी 2004 पेज 556, आरबीजे पेज 464 इत्यादि।

प्रत्युत्तर में रेस्पों संख्या 2 ता 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पों
संख्या 2 को उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा दिनांक 4.4.1988 को ग्राम रायरा में
भूमि खसरा संख्या 2698/09 मीन 0.6400 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का आवंटन किये
जाने के आधार पर अपीलाधीन नामा० संख्या 326 दिनांक 20.01.1992 को विधिवत रूप
से स्वीकृत किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन नामा० जिस आवंटन आदेश के आधार पर
स्वीकृत किये गये हैं, जब तक उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब
तक उसकी पालना में स्वीकृत नामा० को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके
अतिरिक्त अपीलान्ट अपीलाधीन नामा० से व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है
क्योंकि रेस्पों संख्या 2 को आवंटित भूमि में उनका कोई सरोकार नहीं है और न ही
उनके कब्जे काशत खातेदारी की भूमि थी।

रेस्पों संख्या 2 ता 6 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आवंटित भूमि के
मौके पर आवंटी का कब्जा काशत पाया गया था जिसके आधार पर ही रेस्पों संख्या 2
को भूमि का आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन पत्रावली में गोविन्दसिंह अपीलान्ट की
साख अंकित है। उपखण्ड अधिकारी सोजत के द्वारा वर्ष 1988-1990 में भूमिहीन
व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था और उन्हीं आवंटन आदेश के अनुसार
अपीलाधीन नामा० स्वीकृत किये गये हैं जो विधि अनुकूल उचित है व बहाल रखे जाने
योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष नामा० संख्या 326 स्वीकृति
दिनांक 20.01.1992 के विरुद्ध वर्ष 2017 में प्रथम अपील प्रस्तुत की है जिसके विलम्ब के
सम्बन्ध में विलम्ब अवधि को कन्डोन करने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत
किये गये प्रार्थना पत्र में कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाये जिसके आधार पर विलम्ब
को नकारा जाय। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाय।



Court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigant to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

इसके अलावा अपीलान्त द्वारा मात्र नामान्तरण की अपील की है। मूल आवंटन आदेश जिसका हवाला नामान्तरण में दिया गया है, उसको चुनौती नहीं दी गई है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन व विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 02 जून, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सहायकी न्यायाधीश
जोधपुर

